

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

विषय- यातायात जागरूकता

नाम-

कक्षा-

अनुक्रमांक- 11

रूपरेखा- ^{प्रस्तावना} यातायात दुर्घटना के कारण, यातायात जागरूकता के नियम, यातायात जागरूकता का अर्थ, यातायात जागरूकता के प्रति हमारा दायित्व, उपसंहार ।

प्रस्तावना ⇒

यातायात दो शब्दों से मिलकर बना है, यात + आयात । जिसका अर्थ है- आना-जाना । यातायात दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है । सामाजिक तथा औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमने परिवहन के अनेक साधन विकसित किये हैं । जिनमें से यातायात जागरूकता या सड़क यातायात जागरूकता प्रसिद्ध है । इसको हमें सुचारु या सुरक्षित रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा कई नियम बनाए गये हैं । जिनका सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए । वर्तमान समय में ही रहे जीवनशैली में हमें अधिकतर घर से बाहर आना-जाना रहता है । जिसके लिए हमें यातायात की जरूरत होती है । इसलिये हमें कई बार इससे परेशानी भी सहना पड़ता है । यातायात के नियमों का पालन करने से हम तथा हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं ।

यातायात दुर्घटना के कारण ⇒

- नशी में वाहन चलाना ।
- बिना हेलमेट के वाहन चलाना ।
- बिना सीटबेल्ट के वाहन चलाना ।
- सड़क के नियमों का पालन न करना ।
- बाईं ओर से न चलना ।
- जैव्रा क्रॉसिंग का उपयोग न करना ।

यातायात जागरूकता के नियम ⇒

- यातायात जागरूकता के निम्नलिखित नियम हैं।
- सड़क पर हमेशा बर्डी और सै चलें।
- सड़क पार करते समय हमेशा अपनी दाईं-बाईं और देखाकर ही पार हों।
- नगीले पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाएँ।
- हमेशा ग्रीट बेल्ट तथा हेलमेट का प्रयोग करें।
- जैब्रा कॉसिंग का प्रयोग करें।
- वाहन मौइते समय ओवरटेक लें।
- वाहन चलते समय ट्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग करें।
- "सावधानी हरी, दुर्घटना घरी।"

यातायात जागरूकता का अर्थ ⇒

यातायात जागरूकता का अर्थ है - यातायात के प्रति जागरूक होना। हमें अपना वाहन चलते समय यह ध्यान देना चाहिए कि हमेशा बर्डी और सै तथा आस-पास अलग किसी व्यक्ति को देखाकर रास्ता न पार हों। जब वह व्यक्ति चला जाए तब हमें रास्ता पार होना चाहिए। यातायात जागरूकता का पालन करने से हम अपना ही नहीं अपने परिवार का, समाज का, नगर का तथा पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं।

"सड़क सुरक्षा का करो सम्मान,
तभी बनेगा देश महान।"

यातायात जागरूकता के प्रति हमारा दायित्व ⇒

यातायात के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। यदि कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए तथा उसकी प्रेरित करना चाहिए कि वह उस नियमों का पालन

करें। तथा उसके प्रति वह हमेशा सभ्य रहें। यदि सड़क पर किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है तो उसे हमें लुत्फ अस्पताल ले जाना चाहिए। वहाँ गिर नहीं छुटाना चाहिए। घायल व्यक्ति को हमेशा धैर्य रखना चाहिए तथा उसे सांत्वना देने के लिए अच्छी बातें कानी चाहिए। युवा-युवाओं तथा बुजुर्गों को हमें ध्यान में रखकर उन्हें हेलमेट तथा ग्रीट बेल्ट लगाना चाहिए। इससे हम तथा हमारे परिवार के लोगों को सुविधा होगी। सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हमें उसके प्रति भी उन्हें जागरूक करना चाहिए तथा संदेव सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। साथ-ही साथ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास हेलमेट तथा ग्रीट बेल्ट होना चाहिए। भारत में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं जिससे हम परेशान होते रहते हैं इसलिए हमें नशीले पदार्थ तथा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिससे हम दुर्घटना से बच सकें तथा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा बचा सकें।

६६ व्यक्ति की बुद्धिमानि उस समय वैवकूफी प्रतीत होती है, जब वह बिना हेलमेट के वाहन चलाता है।

उपसंहार⇒

प्रत्येक व्यक्ति को वाहन चलाते समय हमेशा अमर्त रहना चाहिए कि वह सदैव अपने बर्त और से वाहन चलाएँ तथा यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह सदैव नियमों का पालन करें। इससे यह वह अपना तथा अपने परिवार की सुरक्षा बचा सकता

रका सकता है। जब भी वह नियम का पालन करेगा तो अन्य व्यक्ति भी उसे देखाकर उसके नियमों का पालन करेंगे। इससे वह अनेक व्यक्तियों को बताएगा और अनेक व्यक्ति भी उस नियम का पालन करेंगे इससे एक न एक दिन हमारा देश अवश्य ऊँचा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष 10 लक्षा से अधिक व्यक्तियों की मौत होती है। इससे जब हम नियमों का पालन करेंगे तो यह सूचना शायद न सुनने की मिले अपने देश का गौरव बढ़ाने तथा अपनी दुनिया की रक्षा करने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी।

66 पड़क सुरक्षा का करो यान,
तभी बनेगा देश महान।”

“सतर्क रहें। सुरक्षित रहें।”

धन्यवाद !